

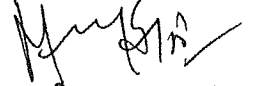
भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 09.09.2016

विषय: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 66 वीं बैठक का आयोजन।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 66वीं बैठक आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी की अध्यक्षता में दिनांक 29.09.2016 को 03.30 बजे (अपराह्न) समिति कक्ष, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली में होनी निश्चित हुई है। बैठक की कार्यसूची संलग्न है। कृपया इस बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।



(एम.सी. भारद्वाज)

उप निदेशक (रा.भा.)

दूरभाष: 23714374

संलग्नक : यथोपरि

सेवा में,

1. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य (सभी उपसचिव, अवर सचिव तथा अनुभाग अधिकारी)।
2. आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के निजी सचिव को सूचनार्थ।
3. उप-सचिव (नीति), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली सिटी सेन्टर-॥ भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जल सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
4. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय । मंत्रालय के इन्ट्रानेट पर हिन्दी अनुभाग, परिपत्र के तहत कृपया इसे अपलोड करवाएं।

भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की
दिनांक 29.09.2016 को 03.30 बजे (अपराह्न) होने वाली 66वीं बैठक की कार्यसूची

मद संख्या	विषय
1	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 10.06.2016 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।
2	दिनांक 10.06.2016 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई।
3	दिनांक 31.12.2015 तथा 31.03.2016 को समाप्त तिमाहियों के आधार पर जल संसाधन, न.वि. और गं. सं. मंत्रालय में हिंदी के प्रयोग की अनुभाग-वार तुलनात्मक स्थिति।
4	दिनांक 31.12.2015 तथा 31.03.2016 को समाप्त तिमाहियों के आधार पर जल संसाधन, न.वि. और गं.सं. मंत्रालय के संगठनों/अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की संगठन/ कार्यालय-वार तुलनात्मक स्थिति।
5	राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में विचारणीय मुद्दों के रूप में निर्धारित विषयों अर्थात् धारा 3(3) के अंतर्गत सभी कागजात द्विभाषी जारी करने, हिन्दी में पत्राचार की स्थिति, हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिए जाने, फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण देने, हिन्दी (भाषा, टंकण व आशुलिपि) का प्रशिक्षण, वेबसाइट पूरी तरह से द्विभाषी बनाने और अद्यतित रखने, विभागीय आई. टी सिस्टमों में हिन्दी में कार्य करने की सुविधा व इसका प्रयोग सुनिश्चित कराने, कोड/मैनुअल आदि पूरी तरह से द्विभाषी बनाने, सभी कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा (यूनिकोड में) उपलब्ध कराने, राजभाषाई निरीक्षणों की स्थिति, अनुभागों को अपना पूरा काम हिन्दी में करने के लिए अधिसूचित करने के बारे में विचार विमर्श।
6	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य मुद्दा।